रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 206] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 1981/वैशाख 31, 1903
No. 206] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 1981/VAISAKHA 31, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मई, 1981

का. आ. 377 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश का. आ. संख्या 363(अ) दिनांक 22 मई, 1976 (जिसे इसमें इसके बाद उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के निकाय को मेसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता (टोटागढ़ एकक), कलकत्ता नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम को (जिसे इसमें इसके बाद उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) 22 मई, 1976 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने अपने आदेश संख्या का.आ. 201(अ) दिनांक 11 अप्रैल, 1979 द्वारा सचिव, बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार (जिसे इसमें इसके आगे प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) को मेसर्स वेस्टिंग हाउस सैक्सबी फार्मर लिमिटेड, कलकत्ता से उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 22 मई, 1976 से शेष पांच वर्ष की अवधि तक ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध प्राधिकृत व्यक्ति के पास 22 मई, 1981 से दो वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिए बना रहे, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 च क की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन उस प्रभाव की अनुज्ञा के लिए निवेदन करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन किया था, और उक्त उच्च न्यायालय ने तारीख 4 मई, 1981 के अपने आदेश द्वारा उक्त अनुज्ञा दे दी थी ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 22 मई, 1981 से दो वर्ष की अग्रेतर अवधि तक प्रभावी रहेगा ।

[फा. सं. 4(13)/76-सी. यू. एस.]
चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 21st May, 1981

S.O. 377(E).—Whereas by the Order of Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) S.O. No. 363(E)

dated the 22nd May, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government authorised the body of persons specified in that Order to take over the Industrial Undertaking known as M/s. Britannia Engineering Company Calcutta (Titagarh Unit), Calcutta (hereinafter referred to as the said Industrial Undertaking) for a period of five years from the 22nd May, 1976.

And whereas the Central Government vide its Order No. S.O. 201(E) dated the 11th April, 1979, authorised the Secretary, Closed and Sick Industries, Department of the Government of West Bengal (hereinafter referred to as the authorised person), to take over the Management of the said Industrial Undertaking from M/s. Westinghouse Saxby Farmer Limited, Calcutta, for the remaining period of five years from the 22nd May, 1976.

And whereas the Central Government being of the opinion that it is expedient in the public interest that the authorised person should continue to manage the said Industrial Undertaking for a further period of two years from 22nd May, 1981, made an application to the Calcutta High Court paying for the permission to that effect, under the previso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, and that the said High Court has, by its Order dated the 4th May, 1981, granted the said permission ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of two years from 22nd May, 1981.

[F. No. 4(13)/76-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981